आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भीम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर दिनांकः 29 NOV 2022

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 6, दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 26 (i) व स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 6 में निकायों की योजनाओं में EWS/LIG & MIG-A आय वर्ग के भूखण्डों/आवासों में एक मुश्त बकाया राशि व किश्ते जमा कराने पर अभियान अवधि में ब्याज व पैनेल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए स्थानीय स्तर पर बहाल करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

आदेश दिनांक 28.07.2022 के बिन्दु 'स' के बिन्दु 2(ii) में दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् लॉटरी से आवंटित भूखण्डों (EWS/LIG & MIG-A को छोड़कर) ब्याज पैनेल्टी लेकर स्थानीय स्तर पर बहाल करने के आदेश दिए गए है।

अभियान में EWS/LIG & MIG-A के भूखण्डों पर बिना ब्याज पेनेल्टी के राशि जमा कराने की छूट के अनुसार ही MIG-B & HIG के भूखण्डों पर भी छूट की मांग की जा रही है। अतः आदेश दिनांक 28.07.2022 का बिन्दु 'स' के बिन्दु 2(ii) को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी किए जाते है।

दिनांक 31.12.2019 के बाद लॉटरी से आवंटित MIG-B & HIG के वे भूखण्ड जिनमें पूर्ण राशि जमा नहीं है उनमें यदि आवंटी द्वारा 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा कराने के साथ ही सम्पूर्ण बकाया राशि बिना ब्याज व पैनेल्टी के ली जाकर स्थानीय स्तर पर भूखण्डों को बहाल करते हुए फ्री-होल्ड पट्टे दिए जावें।

यह आदेश अभियान अवधि में लागू होंगे।

25.11.2022
(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से
25/11/22
(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम